न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश,अष्टम्, नवादा.

B.P.N0 – 5733/2022

नवादा थाना काण्ड सं0 — 1146 / 2022

अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 326, 307 भा0.द0.वि0.

कुन्दन सिंह उर्फ कुन्दन कुमार .... आवेदक

बनाम

स्टेट ऑफ बिहार .... विपक्षी

....

दिनांक 04.01.2023

आवेदक अभियुक्त कुन्दन सिंह उर्फ कुन्दन कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन उनके वि0 अधिवक्ता द्वारा दिनांक 17.12.2022 को जो शपथ पत्र से समर्थित है, दाखिल किया गया जो 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 326, 307 भा.द.वि. के अंतर्गत है जिसकी एक प्रति वि0 अपर लोक अभियोजक को दी गई जिसे Physical Court में प्रचालित किया गया। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री बिनोद कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेश कुमार मंडल को सुना।

आवेदक अभियुक्त के वि0 अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा इसे इस केस में झूठा फंसाया गया है। इनके द्वारा इसके अलावा वरीय न्यायालय में अन्य कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध नवादा थाना काण्ड सं0 79 / 2022 तथा 1135 / 2022 दर्ज है। आवेदक अभियुक्त किसी घटना को अंजाम नहीं दिया है। आवेदक अभियुक्त न तो घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है न ही उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुई है। आवेदक अभियुक्त पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। इस वाद के सह अभियुक्त को श्रीमान् के न्यायालय से जमानत का लाभ दिया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 12.10.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त सभी नियमों एवं शर्तो का पालन करने को तैयार हैं तथा इनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य में छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ दने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया है।

अभियोजन का केस संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.10.2022 को समय 20:00 बजे सूचक मोहन सिंह का बेटा गौतम तथा विक्की कुमार घर से मेला घुमने नवादा के लिए निकला, समय 21:30 बजे सूचना मिला कि दोनों पर जानलेवा हमला 10 अज्ञात अपराधी द्वारा किया गया है, सूचना पर सूचक सदर अस्पताल नवादा आया पता किया तो दोनों लडका बताया कि अम्बेडकर मूर्ति के आगे मेन रोड पर 8–10 लडका छुरा एवं रॉड से एकाएक हमला कर दिया, विक्की कुमार को बायां पंजडा में छुरा मार दिया और गौतम कुमार पर जान मारने के नियत से रॉड से मारा जिससे सिर फुट गया। दोनों को बेहतर ईलाज हेतु पावापुरी रेफर कर दिया गया। विक्की कुमार को पावापुरी अस्पताल में भर्ती किया गया तथा गौतम कुमार को बेहतर ईलाज हेतु पटना रेफर कर दिया गया। अज्ञात 10 अपराधी में से एक का पहचान किया गया जिसका नाम कुन्दन सिंह है।

लगातार–02

<u>लगातार–04.01.2023.</u>

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का परिशीलन किया। आवेदक अभियुक्त भा.द.वि. की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 326, 307 हेतु आरोपित है। काण्ड दैनिकी के पैरा– 5 के अनुसार आवेदक अभियुक्त पर कथित जख्म कारित किये जाने का विशिष्ट आरोप है। काण्ड दैनिकी के पैरा– 21 में आवेदक अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान भी उपलब्ध है। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार चोटिल/पिडित चूँकि बेहतर इलाज हेतु रेफर किया जा चुका है। उपरोक्त परिस्थितियों में, विशिष्ट आरोप के आलोक में, अपराध की प्रकृति को देखते हुए, चूँकि अनुसंधान अभी जारी है यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त कुन्दन सिंह उर्फ कुन्दन कुमार को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। अतः आवेदक अभियुक्त कुन्दन सिंह उर्फ कुन्दन कुमार का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

(देशमुख)
अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्, नवादा.